मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 228 / 2023

1. इन्द्रा देवी पत्नी भंवरलाल जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. सोनिका पत्नी महावीर प्रसाद जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— वादीगण

–:: बनाम ::–

1. कुलविन्द्र सिंह पुत्र हरदम सिंह जाति जटसिख साकिन खरलियां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. महेन्द्र सिंह पुत्र हरदम सिंह जाति जटसिख साकिन खरलियां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. कर्म सिंह पुत्र ईशर सिंह जाति जटसिख साकिन बुर्जमानसा तहसील रामपुरा फूल जिला बठिण्डा पंजाब।
4. गुरजीत सिंह पुत्र ईशर सिंह जाति जटसिख साकिन बुर्जमानसा तहसील रामपुरा फूल जिला बठिण्डा पंजाब।
5. जगदेव सिंह पुत्र ईशर सिंह जाति जटसिख साकिन बुर्जमानसा तहसील रामपुरा फूल जिला बठिण्डा पंजाब।
6. बलविन्द्र सिंह पुत्र ईशर सिंह जाति जटसिख साकिन बुर्जमानसा तहसील रामपुरा फूल जिला बठिण्डा पंजाब।
7. सुखदेव सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख साकिन खरलियां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. गुरविन्द्र सिंह पुत्र सुखमन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन खरलियां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
9. बलजीत कौर पत्नी भादर सिंह जाति जटसिख साकिन खरलियां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
10. रमनदीप सिंह पुत्र सुखमन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन खरलियां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
11. सिमरजीत कौर पत्नी सुखमन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन खरलियां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

Signature Not Verified

—— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. [illegible] खाता विभाजन

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.09.02 14:44:44 IST
Reason: SelfAttested

–निर्णय–

दिनांक :– 28-[illegible]

वादीगण की ओर से हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता [illegible] प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की ओर से श्री महेन्द्र सैन अधिवक्ता व प्रतिवादी सं. 7 ता 11 की ओर से श्री रमेश कुमार अधिवक्ता और राजपैरोकार पीलीबंगा इस वाद में आज दिनांक को अमिता बिश्नोई उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य इकबाल दावा व प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

किये गये के अनुसार वाद पत्र व प्रतिवाद पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है:–

क. वादीगण की ब.हि.ब. कृषि भूमि :–

चक	प.नं.	किला	तादादी
3 एसजीआर	6/302	16 ता 19, 20/.104 दक्षिणी, 21 ता 25	2.381 हैक.

ख. प्रतिवादी सं. 7 की कृषि भूमि:–

चक	प.नं.	किला	तादादी
3 एसजीआर	4/302	1, 10, 11, 2, 9,12 3/.126 पश्चिमी, 8/.127 पश्चिमी 13/.126 पश्चिमी	1.897 हैक.

ग. प्रतिवादी सं. 8 ता 11 की ब.हि.ब. कृषि भूमि:–

चक	प.नं.	किला	तादादी
3 एसजीआर	5/302	16 ता 25, 11/.125 दक्षिणी, 12/.124, 13/.124, 14/.124 15/.125 दक्षिणी	3.152 हैक.

शेष 9.015 हैक. कृषि भूमि मे से प्रतिवादी सं. 1 की 0.822 हैक., प्रतिवादी सं. 2 की 1.613 हैक., प्रतिवादी सं. 3 ता 6 की 6.580 हैक. ब.हि.ब. भूमि का खाता यथावत रखा जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी /गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 28/08/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.09.02 14:44:44 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा